Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोडा – 263601

उपस्थिति — 1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–167 / 2024

श्रीमती विनीता जोशी — वादी
ग्राम सिकुड़ा, अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके कनेक्शन संख्या एआर 21118403452 के सापेक्ष दिनांक 27.06.2023 को उन्हें 3431 मीटर रीडिंग का बिल प्राप्त हुआ था। लगभग दो महीने बाद दिनांक 22.082023 को 167348 मीटर रीडिंग का बिल दिया गया। चेक मीटर लगाने के बाद रीडिंग 167398 दर्शाई गई। मीटर की एमआरआई करने के लिये विभाग द्वारा मीटर उतारकर नया मीटर लगा दिया गया परंतु बिल अभी भी लाखों में आ रहा है। उन्होंने बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 508 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 18.03.2024 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि यह प्रकरण मीटर डिजिट के चार अंकों से छह अंकों में जम्प करने से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एमआरआई कराई जाए और अगर एमआरआई विभागीय प्रयोगशाला में संभव ना हो पाए तो मीटर को मीटर निर्माता कंपनी मैसर्स एलएनटी में भेज कर मीटर की एमआरआई कराकर विस्तृत रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 10.06.2024 को वादी की तरफ से श्री मयंक जोशी अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती विनीता जोशी, वादी तथा विभग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मीटर को एमआरआई हेतु मीटर निर्माता कंपनी मैसर्स एलएनटी को दिनांक 31.05.2024 को भेजा गया था तथा उसके पश्चात 07.06.2024 को अनुस्मारक भी निर्गत किया गया है। उन्होंने बताया कि गारण्टी अवधि के पश्चात वाले मीटरों की एमआरआई करने के लिये प्रति मीटर एलएनटी द्वारा डिमांड शुल्क की मांग की जा रही है जिसमें समय लगने की संभवना है।

वाद सं0 167/2024

4. विभाग ने बताया कि मीटर को इससे पहले विभागीय प्रयोगशाला में टेस्ट किया गया था जिसमें आरटीसी फेल पाई गई थी तथा विश्लेषण के लिये कोई उपयुक्त डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया था।

आदेश

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नए मीटर की 6 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मीटर खराब अवधि का पुनः निर्धारण कर 15 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराया जाए। यदि मीटर निर्माता कंपनी में भेजा गया मीटर टेस्टिंग के पश्चात सही पाया जाता है तो विभाग विस्तृत रिपोर्ट के साथ पुनः मंच के समक्ष आवेदन कर सकता है तथा वादी से सादे कागज पर उपरोक्त के लिये एक अंडरटेकिंग ले ली जाए। विभाग द्वारा संशोधित बिल उपलब्ध कराने के पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 10.06.2024

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

10/6/2024
ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–176 / 2024

श्रीमती प्रिया जोशी,
फ्लैट नं050ए
मैपल मीडोज़ बिसमोरिया
मजखाली, रानीखेत

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
रानीखेत

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने नए संयोजन के लिये आवेदन किया था जिसके सापेक्ष आवश्यक धनराशि जमा करने के उपरांत भी संयोजन उर्जीकृत नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी इस संयोजन संख्या आरएन11321597626 के सापेक्ष रू.510+507, कुल 1017 रू. के बिल निर्गत हुए जिसका भुगतान उन्होंने कर दिया है। उन्होंने मीटर संयोजन कराने तथा उपरोक्त भुगतान किये गए बिलों को आने वाले बिलों में समायोजित करने के लिये निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 555 दिनांक 02.04.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.05.2024 में वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की ओर से बताया गया कि वादी के परिसर में दिनांक 04.04.2024 को नया मीटर लगाकर संयोजन उर्जीकृत कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ता के परिसर पर किसी के उपस्थित ना होने की वजह से समय से मीटर नहीं लगाया जा सका था लेकिन त्रुटिवश सिस्टम द्वारा बिल निर्गत कर दिये गये थे। उन्होंने बताया कि इन निर्गत बिलों के सापेक्ष किये गए भुगतान को मई 2024 की बिलिंग साइकिल के आधार पर निर्गत बिलों में समायोजन कर दिया जाएगा।

13/5/2024

वाद सं० 17/2024

3. वादी का पक्ष जानने के लिये उनके द्वारा दिये गए फोन नंबर 80063700 पर वादी के पति कर्नल हरीश जोशी से बात की गई जिन्होंने उपरोक्त कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की है।

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि संयोजन उर्जीकृत हुए बिना निर्गत बिलों के भुगतान को मई 2024 की बिलिंग साइकिल में समायोजित कर 15 दिन के अंदर संशोधित बिल निर्गत किया जाए। तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्‌घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 13.05.2024

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

13/5/2024
ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह मर्त्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–173 / 2024

श्री त्रिलोक सिंह जीना, — वादी
ग्राम माल,
अल्मोडा

बनाम

अधिशासी अभियंता — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या एआर 41500692578 के सापेक्ष पूर्व में 600 से 700 रू. के बीच बिल आता था जो कि सितम्बर 2023 में बढ़कर रू.19367 हो गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत के उपरांत मीटर बदल दिया गया है परंतु बिल में किसी भी तरह का संशोधन नहीं हुआ है। उन्होंने बिल संशोधन करने के लिये निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 534 दिनांक 26.03.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 18.03.2024 में विभाग ने बताया कि वादी के मीटर की रीडिंग दिनांक 08.06.2023 को 9323, चार अंकों से बढ़कर दिनांक 07.10.2023 को पांच अंकों में रिकॉर्ड की गई है। वादी की शिकायत पर मीटर को 07.11.2023 को बदल दिया गया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एमआरआई कराई जाए और यदि विभाग की प्रयोगशाला में एमआरआई करना संभव न हो तो मीटर को मीटर निर्माता कंपनी एलएनटी में भेजकर एमआरआई कराई जाए।

3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि आज दिनांक 13.05.2024 में वादी की तरफ से श्री त्रिलोक सिंह जीना उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन चंद्र जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि विभागीय मीटर प्रयोगशाला में मीटर की एमआरआई नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग चार अंकों–9323 से पांच अंकों में जाने की वजह से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि पुराने मीटर की जगह 07.11.2023 को नया मीटर लगा दिया गया है।

Office of Elect. Consumer Grievances Bod...
Uttarakhand Pow...

वाद सं० 173/2024

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नए मीटर के विद्युत उपभोग के आधार पर पिछले छह माह की औसत रीडिंग लेकर तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं। तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 13.05.2024

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार. अल्मोडा – 263601

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–177/2024

श्री सुरेश लाल — वादी
ग्राम खूंट धारी, पोस्ट धामस
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने कनेक्शन संख्या एआर 11517403428 का स्थाई संयोजन विच्छेदन कराना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वह अभी लंबित बिल के सापेक्ष थोड़ा पैसा जमा करवा रहे हैं तथा बाकी किश्तों में दे देंगे। परंतु विभाग द्वारा संयोजन विच्छेदन नहीं किया जा रहा है।
   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 568 दिनांक 15.04.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.05.2024 में वादी की तरफ से श्री सुरेश लाल तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के विद्युत संयोजन के सापेक्ष 30012 रूपए का बिल बकाया है तथा इसको जमा करने के पश्चात ही संयोजन का विद्युत विच्छेदन हो पाएगा।
   वादी ने बताया कि उन्होंने 24.09.2021 को रू.2149 जमा कराए थे और वह उपरोक्त बिल से संतुष्ट नहीं हैं। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वादी का पिछले पांच साल का बिल पुनःनिरीक्षण कर संशोधित बिल, यदि कोई हो को मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 10.06.2024 को वादी की तरफ से श्री तारा राम भाई श्री सुरेश लाल–वादी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मंच के दिनांक 13.05.2024 के निर्देशानुसार बिल का पुनः निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि वादी के द्वारा दिनांक 13.09.2021 को 2149 रूपए का भुगतान करने के पश्चात आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वादी को रीडिंग आधारित बिल निर्गत किये गए हैं तथा वर्तमान बिल रू. 30531 का भुगतान करने के पश्चात ही स्थाई संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही की जाएगी।
4. वादी ने बताया कि यह संयोजन उनके स्वर्गीय पिताजी श्री पुरन लाल के नाम से पंजीकृत है। उनकी मृत्यू के पश्चात यह संयोजन उनके चारों पुत्र श्री हरीश लाल, श्री सुरेश लाल, श्री जगदीश लाल एवं तारा राम के उपयोग में रहा है। उन्होंने बताया कि चारों भाईयों में से दो भाईयों यथा श्री तारा राम एवं श्री जगदीश लाल ने अपना संयोजन अलग से ले लिया है तथा उपरोक्त संयोजन वर्तमान में श्री सुरेश लाल तथा श्री हरीश लाल

10/6/2024

आ०स० 177/2024

द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि वर्तमान में अलग अलग रहते हैं और अपना अपना नया संयोजन चाहते हैं। विभाग ने बताया कि यह तभी संभव है जब वर्तमान बिल रू.30531 जमा कराया जाए।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संयोजन के उपयोगकर्ताओं के निवेदन पर तथा इतनी भारी भरकम राशि बकाया रहने के कारण संयोजन का अस्थायी विच्छेदन कर दिया जाए। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह यह भी निरीक्षण करे कि दो भाईयों श्री तारा राम एवं श्री जगदीश लाल ने अपने नाम से विगत में जो अलग अलग संयोजन लिये हैं वो उपरोक्त संयोजन के लाभार्थी तो नहीं रहे हैं। अगर यह दोनों भाई विगत में लाभार्थी रहे हैं तो विभाग द्वारा उपरोक्त धनराशि 30531 को प्रो राटा के आधार पर चार भाईयों से वसूल करने के पश्चात संयोजन के स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही नियमानुसार संपादित की जाए। विभाग द्वारा 15 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रेषित करना सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 10.06.2024

10/6/2024

पुष्कर सिंह रावत सदस्य उपभोक्ता	ओ0पी0 दीक्षित सदस्य तकनीकी	चामू सिंह मस्याल सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोडा – 263601

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–48 / 2024–25

श्रीमती बसंत बल्लभ कापड़ी
ग्राम व पोस्ट सतगढ़
पिथौरागढ़ वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़ प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके कनेक्शन संख्या पीटी 14355093119 के सापेक्ष उनका नाम वसंत कापड़ी पुत्र श्री कृष्णा कापड़ी दर्शाया गया है जबकि उनका सही नाम बसंत बल्लभ कापड़ी पुत्र श्रीकृष्ण है। उन्होंने बिल में उपरोक्त संशोधन करने के लिये निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 30 दिनांक 07.05.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 17.05.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री नितिन गर्ब्याल अधिशासी अभियंता पिथौरागढ़ ने बताया कि विभाग द्वारा वादी को उनके पत्र संख्या 1263 दिनांक 10.05.2024 के द्वारा नाम परिवर्तन संबंधी निर्धारित फॉर्म भेज दिये गए हैं तथा उनसे निवेदन किया गया था कि वह इन फॉर्म्स को भरकर उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड पिथौरागढ़ कार्यालय से संपर्क करें ताकि तदनुसार आवेदित नाम परिवर्तन की कार्यवाही संपादित की जा सके। उन्होंने बताया कि अभी तक वादी ने निर्धारित प्रपत्रों को भरकर विभाग में जमा नहीं कराया है।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी को उपरोक्त पर एक अनुस्मारक पत्र भेज दिया जाए जिसमें वादी को प्रपत्रों को जमा करने के लिये 15 दिन का समय दिया जाए। अगर वादी निर्धारित अवधि में प्रपत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करता है तो प्रकरण को तदनुसार बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

17/5/2024

वाद सं० 48/2024-25

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.05.2024

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक